उपायुक्त का कार्यालय, लातेहार।

(पंचायत शाखा)

सूचना

सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) झारखण्ड सरकार के संकल्प ज्ञापांक 1603 दिनांक 20.05.2016 के आलोक में ग्राम पंचायत के प्रबंधन हेतु राज्य के पढ़े-लिखे युवक-युवतियों को पंचायत सचिवालय में स्वयं सेवक के रूप में नियुक्त करने हेतु जिले के 18-35 आयु वर्ग के बीच के युवक-युवतियों का आवेदन उपायुक्त, कार्यालय में प्राप्त हुआ था। विहित तिथि के पश्चात निम्न पंचायतों से वांछित संख्या में आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में विभागीय निर्देश के आलोक में संबंधित पंचायत के योग्य युवक-युवतियों से अपने संबंधित ग्राम पंचायत के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। आवेदन पत्र उपायुक्त, लातेहार के कार्यालय में दिनांक-09.06.2016 संध्या 5:00 बजे तक जमा किया जा सकता है। आवेदक की शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम मैट्रिक पास होना अनिवार्य है।

क्र0	प्रखण्ड का नाम	पंचायत का नाम
1	2	3
1	चन्दवा	चेटर, अलौदिया, चन्दवा पश्चिमी, बोदा, हुटाप, लाधूप, माल्हन एवं बरवाटोली
2	बालुमाथ	धाधू, मुरपा, भगेया, गणेशपुर, बसिया, सेरेगडा एवं मासियातु
3	हेरहंज	सेरनदाग, हेरहंज, चीरू एवं सलैया
4	बारियातु	टोंटी, बारियातु, साल्वे, डाढा एवं अमरवाडीह
5	मनिका	बिशुनबांध
6	बरवाडीह	पोखरीकला, खुरा, हरातु एवं गणेशपुर
7	गारू	रूद, कोटाम, मायापुर, बारेसाढ एवं घांसीटोला
8	महुआडांड	चटकपुर, ओरसा, हामी, रेंगाई, चम्पा, अम्वाटोली, महुआडांड, दुरूप, गढ़बुढ़नी, परहाटोली, सोहर, चैनपुर, नेतरहाट एवं अक्सी

आवेदन के शर्त, निर्देश तथा आवेदन पत्र का प्रारूप लातेहार जिला के **वेबसाईट** ***latehar.nic.in*** पर प्राप्त किये जा सकते हैं।

उपायुक्त, लातेहार

d:\sir santosh ram\all letter\letter_bigyapan.docx

उपायुक्त का कार्यालय, लातेहार।

(पंचायत शाखा)

ग्राम पंचायत के प्रबंधन हेतु पंचायत सचिवालय के लिए आवेदन पत्र (प्रारूप)

फोटोग्राफ

1. आवेदक का नाम :-..
2. पिता/पति का नाम :-..
3. लिंग :-..
4. उम्र (01.05.2016) :-..
   (प्रमाण-पत्र की छायाप्रति के साथ)
5. शैक्षणिक योग्यता :-..
   (प्रमाण-पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)
6. पता :-..
   गांवः-.....................पंचायत का नामः-.......................पोस्टः-...............................
   प्रखण्डः-.........................जिलाः-..........................पिनः-.......................................
7. मोबाईल नम्बरः-..
8. श्रेणीः- अनु0 जाति ☐ अनु0. जन0जाति ☐ पिछड़ी जाति ☐ अ0पि0जाति ☐ सामान्य ☐

घोषणा

उपरोक्त सूचनाएँ सही है एवं मै किसी भी अपराध के लिए दंडित नहीं हुआ हूँ।

आवेदक का हस्ताक्षर

निर्देशः-

अपने गांव के विकास में योगदान दें

- राज्य के पढ़े-लिखे युवक-युवती बन सकते हैं, ग्राम पंचायत सचिवालय में स्वयंसेवक।
- स्वयंसेवकों को कार्यानुसार राज्य सरकार देगी प्रोत्साहन राशि।

ये बन सकते है स्वयंसेवक

- आयु 18-35 वर्ष के बीच हो।
- आवेदक कम से कम मैट्रिक पास हो।
- ग्राम पंचायत निवासी अपने ग्राम पंचायत के लिए ही कर सकते हैं आवेदन।

आवेदन के साथ किन्हीं तीन विषयों पर दस-दस पक्तियों में अपना सुझाव दें :-

- आपने पंचायत क्षेत्र में किस प्रकार कृषि एवं जल संचय को प्रोत्साहित किया जा सकता है एवं इसमें आप किस प्रकार योगदान कर सकते हैं?
- आपके गांव में कौन सी कुप्रथा/अंधविश्वास प्रचलित है एवं उसे किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। उसे दूर करने में आप व्यक्तिगत रुप से किस प्रकार योगदान कर सकते हैं?
- गांव में कुपोषण के क्या मुख्य कारण क्या हैं एवं इसे दूर करने की सरकार की योजना में आप किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं?
- गांव में साक्षरता एवं शिक्षा को बढ़ाने के संबंध में क्या विचार है एवं इसमें गांव के युवक/युवतियों की क्या भूमिका होनी चाहिए?
- गांव को स्वास्थ्य, सुखी एवं संपन्न बनाने के लिए आपकी क्या सोच है?
- "समरस गांव, समता-ममता मूलक समाज" की क्या परिकल्पना है एवं इसे बनाने के लिए आपकी क्या सोच है?

2/6/16

उपायुक्त, लातेहार